

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 364 / 11

संस्थापन दिनांक:-19 / 10 / 11

फाईलिंग नं. 233504000422011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

मोतीलाल पिता तेजी गोलान  
उम्र 40 वर्ष, निवासी राठीपुर,  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा 11(घ), म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 तथा म.प्र. कृषि पशु परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6(क), 6(ख)/10 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.10.2011 को रात्रि करीब 09:30 बजे ग्राम काजी जामठी आम रोड हनुमान मंदिर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत गौवंश 6 नग बछड़ा, 7 नग बोदा पशु को इस रीति से परिवहन किया वे अनावश्यक पीड़ा व यातना के वशीभूत हुए एवं उक्त पशुओं को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा उक्त पशुओं को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाकर परिवहन किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि सहायक उप निरीक्षक एस.एल. साहू को दिनांक 16.10.2011 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम काजी जामठी में एक व्यक्ति जानवरों को कूरतापूर्वक मारपीट करते हांकते हुए पैदल महाराष्ट्र तरफ कत्तल खाने जे जा रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ मौके पर पहुंचा जहां तथा जानवर ले

जाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मोतीलाल बताया। अभियुक्त द्वारा जानवरों की खरीदी संबंधी कागजात पूछने पर उसने कागजात न होना बताया जिस पर उसने अभियुक्त से 6 नग बछड़े एवं 7 नग बोदा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 316/14 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा मवेशियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर गौवंश 6 नग बछड़ा, 7 नग बोदा पशु को इस रीति से परिवहन किया वे अनावश्यक पीड़ा व यातना के वशीभूत हुए ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर उक्त पशुओं को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर उक्त पशुओं को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाकर परिवहन किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण**

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 बबलू यादव (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के दिन घर से बैतूल की ओर जा रहा था तभी अभियुक्त मोतीलाल और उसके साथ में एक व्यक्ति मिला। अभियुक्त 10-12 जानवरों को मारते हुए हांकते हुए ले जा रहा था। वहीं मौके पर ओमप्रकाश और गजराज भी थे। पूछे जाने पर अभियुक्त ने बताया कि वह महाराष्ट्र की ओर जानवरों को ले जा रहा है। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के लगभग एक घंटे बाद पुलिस मौके पर आयी। अभियुक्त मोतीलाल के साथ जो व्यक्ति था वह भाग गया था। गणराज (अ.सा.-1) एवं ओमप्रकाश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना के समय ग्राम काजी जामठी के स्कूल ग्राउंड में थे। अभियुक्त मोतीलाल और दो अन्य लोग 10-15 जानवरों को हांककर मारते पीटते पैदल ले जा रहे थे। अभियुक्त को रोककर पूछा गया कि जानवर कहाँ ले जा रहे हो तब अभियुक्त और उसके साथ के दो लोगों ने यह बताया कि जानवरों को बिरूल बाजार ले जा रहे हैं। अभियुक्त मोतीलाल को उन लोगों ने पकड़ लिया था और बाकी के दो लोग भाग गये थे। फिर पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस आयी थी।

7 श्यामलाल साहू (अ.सा.-7) का कहना है कि वह दिनांक 16.10.2011 को पुलिस थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचना मिलने पर वह मय स्टाफ काजी जामठी पहुँचा था जहाँ अभियुक्त 13 नग गाय और बछड़े लेकर आ रहा था जिस पर उसने अभियुक्त से जानवरों को कब्जे में रखने और परिवहन के संबंध में दस्तावेज मांगे गये परंतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था तथा गौवंश को बेचने और काटने के लिए महाराष्ट्र तरफ ले जा जाना बताया था जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष 13 नग गौवंश जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने गौवंश को अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया जिसका सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-3 है तथा जप्तशुदा गौवंश को गौतम समिति रखवाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 316/11 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) लेखबद्ध की थी।

8 बबलू यादव (अ.सा.-4), गणराज (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब पुलिस मौके पर आयी थी तो उनके समक्ष अभियुक्त मोतीलाल से जानवरों को जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) तैयार किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि उनके समक्ष पुलिस ने त्रिवेणी गौशाला को जानवर सुपुर्दगी पर

दिये थे। सुपुर्दनामा (प्रदर्श पी-3) है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। ओमप्रकाश (अ.सा.-2) ने भी मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके समक्ष जानवरों को त्रिवेणी गौशाला को सुपुर्दगी पर दिया गया था। सुपुर्दनामा (प्रदर्श पी-3) पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9 मनोज (अ.सा.-6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह पुलिस वालों के साथ जहां पर जानवर बंधे हुए थे वहां पर गया था। तीन नग बोदा और तीन नग बछड़े थे। पुलिस ने उसके समक्ष जानवरों का सुपुर्दनामा किया था जो कि प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

10 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-5) ने दिनांक 17.10.2011 को आमला में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को उसने काजी जामठी में 7 नग भैंस के बछड़े एवं 6 नग गाय के बछड़ों का परीक्षण किया था जिसमें उसने सभी जानवर कमजोर पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित किया है।

11 बबलू यादव (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त मोतीलाल को पहले से नहीं जानता था। जानवर किसके हैं उसे जानकारी नहीं है। अभियुक्त के पास जो जानवर थे वो हष्टपुष्ट थे। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय तीन चार लोग थे। बाकी लोग भाग गये थे। स्वतः मैं बताया है कि दो लोग थे एक भाग गया था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसके सामने पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। गणराज (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त मोतीलाल को नहीं जानता है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जानवर किसके थे। साक्षी ने यह बताया कि उसे केवल इतनी जानकारी है कि चार-पांच लोग जानवर लेकर जा रहे थे। अभियुक्त मोतीलाल को छोड़कर बाकी लोग भाग गये थे। अभियुक्त से जानवरों के बारे में पूछने पर बताया कि हम खरीदकर ला रहे हैं और बिरुल बाजार ले जा रहे हैं। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर आयी थी। क्या कार्यवाही की उसे जानकारी नहीं है। वह अपने घर चला गया था लेकिन कुछ कागजों पर हस्ताक्षर लिए थे। ओमप्रकाश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। जानवर किसके थे उसे जानकारी नहीं है। अभियुक्त से पूछने पर उसने बताया कि वह जानवर खरीदकर लाया है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जब अभियुक्त से बात की थी तब उसने बताया था कि जानवर खरीदकर लाया है और जानवरों को बेचने के लिए ले जा रहा है।

12 मनोज (अ.सा.-6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त जानवरों को कहां ले जा रहा था। उसने जानवरों को गांव के एक स्थान पर बंधे देखा था। अभियुक्त को जानवरों के साथ नहीं देखा था।

13 पप्पू (अ.सा.-3) ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उक्त साक्षी से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 श्यामलाल साहू (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब मौके पर 7-8 लोग थे। सभी जप्तशुदा जानवर हष्टपुष्ट थे। इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में कोई टीप लेख नहीं है और न ही किसी व्यक्ति के अंगूठा निशानी का उल्लेख है।

15 प्रकरण में साक्षी गणराज (अ.सा.-1), ओमप्रकाश (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से पूछे जाने पर उसने यह बताया था कि वह जानवरों को बिरूल बाजार ले जा रहा है। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि अभियुक्त ने यह भी बताया था कि वह जानवरों को खरीदकर लाया है। उपर्युक्त साक्षीगण एवं बबलू यादव (अ.सा.-4) ने अपने परीक्षण में यह भी बताया है कि अभियुक्त मोतीलाल के साथ-साथ दो अन्य लोग भी थे परंतु वे भाग गये थे। उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि अभियुक्त के पास से जो जानवर जप्त हुए थे वो हष्टपुष्ट थे। श्यामलाल साहू (अ.सा.-7) ने भी यह बताया है कि अभियुक्त से जप्तशुदा जानवर हष्टपुष्ट थे।

16 अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त जानवरों को वध करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा था। साथ ही अभिलेख पर ऐसी भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त मोतीलाल के द्वारा ही जानवरों को मारापीटा जा रहा था क्योंकि साक्षी गणराज, ओमप्रकाश एवं बबलू यादव ने यह बताया है कि अभियुक्त मोतीलाल के साथ दो अन्य लोग भी थे। अभियोजन की ओर से उन दो अन्य लोगों के संबंध में विवेचना के दौरान कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी है। सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि अभियुक्त के पास से जो जानवर थे वे सभी हष्टपुष्ट थे। ऐसी स्थिति में जानवरों का वध किये जाने हेतु ले जाया जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही कोई स्पष्ट साक्ष्य भी इस संबंध में अभिलेख में नहीं है। जप्ती

पत्रक (प्रदर्श पी-1) में भी जप्तशुदा जानवर किससे जप्त किये गये, उसके नाम का उल्लेख कंडिका क्र. 13 में नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश 6 नग बछड़ा, 7 नग बोदा पशु को इस रीति से परिवहन किया वे अनावश्यक पीड़ा व यातना के वशीभूत हुए एवं उक्त पशुओं को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा उक्त पशुओं को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाकर परिवहन किया। फलतः अभियुक्त मोतीलाल को म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 तथा म.प्र. कृषि पशु परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6(क), 6(ख)/10 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 प्रकरण में जप्तशुदा 06 नग बछड़े एवं 7 नग बोदे गौवंश अभियुक्त मोतीलाल पिता तेजी निवासी राठीपुर थाना बैतूल जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिये गये हैं। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार गौवंश का निराकरण किया जावे।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

